न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 30/2015

बडनवान

1. महावीर पुत्र लटूर जाति माली निवासी बडगांव तहसील मांगरोल जिला बारां
2. चन्द्रमोहन पुत्र लटूर जाति माली निवासी बडगांव तहसील मांगरोल जिला बारां
3. ज्ञानचंद पुत्र लटूर जाति माली निवासी बडगांव तहसील मांगरोल जिला बारां
4. किशना पुत्र लटूर जाति माली निवासी बडगांव तहसील मांगरोल जिला बारां
5. सुगना पुत्री लटूर जाति माली निवासी बडगांव तहसील मांगरोल जिला बारां
6. रेखा पुत्री लटूर जाति माली निवासी बडगांव तहसील मांगरोल जिला बारां
7. कौशल्याबाई पत्नि मोहनलाल पुत्री श्री मथुरालाल जाति माली निवासी बडगांव हाल निवासी बडा तहसील बारां जिला बारां

(अपीलांटगण)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां
2. बलराम उर्फ रिंकू आयु 24 वर्ष पुत्र श्री लोडूलाल जाति माली निवासी मेलखेडी तहसील बारां जिला बारां **(रेंस्पोडेंटगण)**

अपील बनाराजगी इन्तकाल नंबर 903 दिनांक 19.04.2014 ग्राम मेलखेडी
अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक **(अपीलांट)**
2. श्री योगेश्वर स्वरूप भटनागर एड0 **(रेस्पाडेन्ट कम –2)**

निर्णय दिनांक 09.03.2022

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम मेलखेडी तहसील बारां में आराजियात खसरा नं. 798 रकबा 0.09 है., खसरा नं. 807 रकबा 0.03 है., खसरा नं. 811 रकबा 0.03 है0, खसरा नं. 812 रकबा 0.09 है0, खसरा नं. 1312 रकबा 1.55 है0, खसरा नं. 1313 रकबा 0.25 है0, खसरा नं. 1092 रकबा 0.55 है0, खसरा नं. 1093 रकबा 0.86 है0, कुल किता 8 कुल रकबा 3.45 है. में मथुरालाल पुत्र बिरधा हिस्सा 1/2, लोडूलाल पुत्र चतरा, घीसीबाई पुत्री चतरा, बादामबाई बेवा चतरा हिस्सा 1/2 आराजी दर्ज है। उपरोक्त शामलाती खाते में खातेदार मथुरालाल का स्वर्गवास दिनांक 13.08.2012 को हो जाने पर उसका हिस्सा 1/2 बलराम उर्फ रिंकू के नाम इंतकाल नं. 903 दिनांक 19.11.2014 से खाते दर्ज कर दिया गया है। मृतक मथुरालाल के [illegible] पुत्री, कौशल्याबाई पुत्री एवं केलाबाई पत्नि (फोत) हैं बद्रीबाई के वारिसान अपी[illegible] 1 ता 6 है। मथुरालाल की मृत्यु बाद रेस्पो0 कम 2 द्वारा एक गोद [illegible] 0 क्रम 1 के यहां प्रस्तुत कर शामलाती खाते की आराजी [illegible] 1/2 का इंतकाल अपने पक्ष में दिनांक 19.11.2014 को खुलवा लिया। जबकि मथुरालाल ने रेस्पो0 क्रम 2 को [illegible] नही लिया। इंतकाल नं. 903 दिनांक 19.11.2014 के कॉलम [illegible] 14 में प्रस्तुत दस्तावे[illegible] बाबत गोदपुत्र व वसीयतनामा लिखा हुआ है, इसी से रेस्पो0 क्रम 1 व 2 के मध्य मिली भगत प्रकट होती है। गोदपत्र को वसीयतनामा मानने में कानूनी त्रुटि की गई है। अपीलांट को रेस्पो क्रम 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 12:02:33 IST
Reason: SelfAttested

ने इंतकाल की कार्यवाही दौरान किसी प्रकार की सूचना, सम्मन, नोटिस नही दिये गये। न ही सुनवाई का कोई मौका दिया गया है। गुपचुप तरीके से इंतकाल नं. 903 तस्दीक किया गया है जो कानून के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलांटगण मथुरालाल के जायज वारिस है, और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उनका मृतक की आराजी में हक व हिस्सा बनता है जिसे वह प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः अपील स्वीकार कर इंतकाल नं. 903 दिनांक 19.11.2014 को खारिज किया जावें।

अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड मंगवाया गया। रेस्पो. क्रम 2 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। न्याय हित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। दौराने बहस वकील अपीलार्थीगण ने अपील में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम मेलखेडी की आराजी किता 8 रकबा 3.45 है0 का हिस्सा 1/2 मुथुरालाल पुत्र बिरधा जाति माली निवासी मेलखेडी के खातेदारी की है। खातेदार मथुरालाल की मृत्यु दिनांक 13.08.2012 को हुई। मथुरालाल के कोई पुत्र नही था, तथा मात्र दो पुत्रियां बद्रीबाई व कौशल्या बाई थी। यदि रेस्पोडेन्ट कम 2 को गोद पुत्र मान भी लिया जाए तब भी पुत्रियों के विवादित आराजीयात में अधिकार समाप्त नहीं होते। परन्तु मृतक खातेदार मथुरालाल के हिस्से की 1/2 आराजी इंतकाल नं 903 दिनांक 19.11.2014 से रेस्पो0 क्रम 2 के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि बद्रीबाई के वारिस अपी0 1 ता 6, अपीलांट कम 7 कौशल्याबाई व रेस्पो. क्रम 2 के नाम 1/3 – 1/3 हिस्से अनुसार दर्ज की जानी चाहिए थी। अतः अपील स्वीकार कर ग्राम मेलखेडी का नामा. नं. 903 दिनांक 19.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस वकील रेस्पो. क्रम 2 ने अपील स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नही होने का कथन किया।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया, तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। दौराने बहस वकील अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 13.07.2005 अनुसार मृतक खातेदार मथुरालाल पुत्र बिरधा जाति माली निवासी मेलखेडी द्वारा पुत्र नही होने से रेस्पो. क्रम 2 को गोद लिया जाना प्रमाणित है। परन्तु मृतक खातेदार मथुरालाल की आराजी पर मात्र गोदपुत्र रेस्पो. कम 2 का नाम दर्ज किये जाने को हम उचित नही समझते है। अभिभाषक रेस्पो. क्रम 2 द्वारा भी अपील का खण्डन नही किया तथा अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार करने की इस्तदुआ की है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांटगण स्वीकार किये जाने योग्य पाई जाता है।

अतः अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर ग्राम मेलखेड़ी का नामांतरण संख्या 903 दिनांक 19.11.2014 निरस्त किया जाकर प्रकरण [illegible] निर्देश के साथ तहसीलदार बारां को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक खातेदार मथुरालाल की पुत्रियों व उनके वारिसान तथा गोदपुत्र के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.03.29 12:02:33 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 09.03.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज0)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,बारां
जिला कलेक्टर
बारां (राज0)